





तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आदेश प्रकाश V/S राज. खाता	नम्बर व तारीख आदेश जो इस हुकम की तारीख में जारी
24/12/20	पत्रावली पेश हुई। अन्य राजकार्य में व्यस्त, होने से पूर्व अधिशानुसार पत्रावली दिनांक 25/12/20 को पेश हो। <div style="text-align: right;">  अतिरिक्त सहाय्यीय आयुक्त नयपुर </div>	
25/12/20	पत्रावली पेश हुई। वकील अपील/उपयुक्त तहत रिकार्ड प्रकाश का पत्रावली दिनांक 24/12/20 को पेश हो। <div style="text-align: right;">  अतिरिक्त सहाय्यीय आयुक्त नयपुर </div>	
26/12/20	कोरोना वैश्विक महामारी के कारण केंद्र/राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए कारण के कारण पत्रावली अद्यतन हुई। अधिशानुसार दिनांक 23/9/21 को पेश हो। <div style="text-align: right;">  अतिरिक्त सहाय्यीय आयुक्त नयपुर </div>	
23/9/21	पत्रावली पेश हुई। अपील/उपयुक्त एवं वकील अपील/उपयुक्त अधिशानुसार अपील/उपयुक्त एवं वकील अपील/उपयुक्त को उचित आवाज लगाई गई। राज्य अपील/उपयुक्त एवं वकील अपील/उपयुक्त अधिशानुसार रहे। अंतिम आवाज सां. 05:00 बजे लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः अपील अपील/उपयुक्त अंतिम वाजरी अंतिम प्रैक्टिस में व्यापक की जाती है। अंतर्गत न्यायालय का रिकार्ड निर्दिष्ट की प्रति के साथ लॉगश्री आदि। इस न्यायालय की पत्रावली पेश हुई। नम्बर के साथ लैटर सां. प्रति पेश आया है। <div style="text-align: right;">  23/12/2021. अतिरिक्त सहाय्यीय आयुक्त नयपुर </div>	

2020/00132

123
2020

~~2019/00066~~



3/19

22/16

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवम् पदेन राजस्व अपील
अधिकारी महोदय, जयपुर, कैम्प दौसा जिला दौसा

श्री राजेश चौर
एडवोकेट
किट
सीट
Rajesh
11/02/11

ओमप्रकाश पुत्र घासी जाति गुर्जर निवासी पीपलकी सिकराय
जिला दौसा।

अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार उपतहसील सिकन्दरा
जिला दौसा।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 13-01-2016 द्वारा
अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा
जिला दौसा अनुवानी प्रकरण ओमप्रकाश बनाम राजस्थान
राज्य मुकदमा राजस्व अपील सं० 13/0/2016 एवम
निर्णय दिनांक 24-09-2015 द्वारा न्यायालय नायब
तहसीलदार उपतहसील सिकंदरा अन्तर्गत मुकदमा नंबर
303/2015 बअनुवानी प्रकरण सरकार बनाम फैलीराम
अं० धारा 91 L. R. एक्ट

मान्यवर महोदय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यात इस प्रकार है कि:-

यह है कि पटवारी हल्का सीकरी तहसील सिकराय ने कतई
गलत व झूठी एक रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय की

ओमप्रकाश

2020/00132